



प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER
जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर
GST & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या: 05/2020

दिनांक: 07.01.2020

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित नियमों/अनुदेशों के अनुसरण में श्री राजेश कुमार अरोड़ा, अधीक्षक, ग्रुप-ब (राजपत्रित), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक 09.10.2019 को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें दिनांक 10.01.2020 (पूर्वान्ह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ता

(प्रमोद कुमार सिंह)
मुख्य आयुक्त

फा.सं.: 11-25(01)सीसीयू/जेजेड/2018/1385

दिनांक: 07.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजेश कुमार अरोड़ा, अधीक्षक, ग्रुप-ब (राजपत्रित), को कार्यभार मुक्त कर उनके कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण, जयपुर/अंकेक्षण, जोधपुर/अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क, जोधपुर (मु.जयपुर)।
3. मुख्य लेखाधिकारी, जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशा./सत.), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
5. अधीक्षक (कम्प्यूटर), जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी प्रति- श्री राजेश कुमार अरोड़ा, अधीक्षक, ग्रुप-ब (राजपत्रित), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, जी.एस.टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/संबंधित एसोसियेशन/सूचना पट्ट।

मुख्य आयुक्त 7/1/2020